राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 51(1) ग्रावि/नरेगा/शिका./विशेष/2010–11 जयपुर, दिनांक 30 DEC 2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम, राजस्थान
समस्त राजस्थान।

विषय :– भारत सरकार की वेबसाईट www.nrega.nic.in पर प्राप्त होने वाली जन शिकायतों का बेवसाईट पर ही समयबद्ध निस्तारण ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा राजस्थान से संबंधित शिकायतों को वेबसाईट www.nrega.nic.in पर दर्ज किया जाता है। इनके निस्तारण के लिए भारत सरकार द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये हुये है एवं राजस्थान सरकार ने भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (जन अभाव अभियोग निराकरण) नियम, 2010 बनाकर राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित कर दिये है। जो दिनांक 4.08.2010 से पूरे प्रदेश में लागू है जिसके अनुसार प्राप्त शिकायतों का निपटारा 15 दिवस में किया जाना आवश्यक है। शिकायत प्राप्त होने के 30 दिन में निस्तारण नहीं होने की स्थिति में पंचायत समिति स्तर की शिकायतें जिला स्तर पर, 60 दिन में निस्तारण नहीं होने पर राज्य स्तर पर एवं राज्य स्तर से भी 90 दिन के भीतर निस्तारण नहीं होने की स्थिति में शिकायतें ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के ध्यान में लाई जाती है, एवं इन लम्बित शिकायतों की समीक्षा ग्रामीण विकास मंत्रालय स्तर पर आयोजित त्रैमासिक पी.आर.सी. की बैठकों मे की जाती है।

उपरोक्त शिकायतों को समयबद्ध निस्तारण कर सीधे ही वेबसाईट के माध्यम से पालना प्रेषित की जानी है। पंचायत समिति/जिला स्तर पर इस कार्य को सधारित करने के लिए कार्मिक पहले ही नियुक्त है। इनका दायित्त्व है कि वे जो शिकायतें वेबसाईट के माध्यम से प्राप्त होती है, उनके निस्तारण को वेबसाईट पर आदिनांक करें। लम्बित रही शिकायतों को प्रभारी अधिकारी की जानकारी में तत्काल लावें। इस हेतु डाटा एन्ट्री के लिए पासवर्ड पहले ही पंचायत समिति/जिला स्तर पर दिये जा चुके है।

शिकायतों को वेबसाईट पर ही निस्तारित कराने की व्यवस्था को आपके जिले में पंचायत समिति/जिला स्तर पर सुदृढ़ करें ताकि शिकायतें प्रथम स्तर पर ही उचित ढ़ग से निस्तारित हो और अगले स्तर (जिला स्तर/राज्य स्तर) पर स्थानान्तरित नहीं हो। इस हेतु आप स्वयं प्रत्येक पखवाड़े पर पंचायत समिति/जिला स्तर पर लम्बित एवं निस्तारित शिकायतों की समीक्षा करें। यह भी देखे कि वेबसाईट पर यथा समय उन्हें निस्तारित कर दिया जाता है।

इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

भवदीय,

29.12.10
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि उपरोक्त आदेशों की पालना हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (द्वितीय) एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
3. कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस